खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 415/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मदनलाल कुम्हार व अन्य

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 415/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/529

सायल :–		गैर सायल :–
देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी	बनाम	1. मदनलाल कुम्हार पुत्र श्री जीवराम कुम्हार मैसर्स :– गणपती एजेन्सी एसबीआई एटीएम के पास , मैन मार्केट सुमेरपुर, जिला पाली राज. निवासी :– झाखोड़ा मार्ग, वार्ड. 25, शिव कॉलोनी, सुमेरपुर जिला पाली राज. (खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता) 2. जीवराम कुम्हार पुत्र श्री कानाराम कुम्हार मैसर्स :– गणपती एजेन्सी एसबीआई एटीएम के पास, मेन मार्केट सुमेरपुर, जिला पाली–राज. निवासी:– झाखोड़ा मार्ग, वार्ड न. 25, शिव कॉलोनी, सुमेरपुर जिला पाली राज. (मालिक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011
उपस्थिति :– 1. गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री मगाराम चौहान उपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांक: 31.12.2024

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 29.07.2024 को दर्ज किया गया है। सायल देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राज. जयपुर दिनांक 18.08.2023 को 03.10 पी.एम. पर मैसर्स गणपती एजेन्सी एसबीआई एटीएम के पास, मेन मार्केट सुमेरपुर, जिला पाली राज. पहूचें। गैरसायल को सायल ने अपना परिचय पत्र दिखाकर गैर सायल से वर्ष 2023 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने स्वयं के पहचान के तौर पर पर आधार कार्ड एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र की छाया प्रतियां मौके पर प्रस्तुत की। सायल खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म गणपती एजेन्सी एसबीआई एटीएम 15–15 किलों के 20 शील्ड टिन घी (AVIK) ब्रांड रखा पाया गया एवं विक्रेता ने बताया कि उक्त घी आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ हैं। उक्त घी(AVIK) ब्रांड में गुणवता में कमी का अंदेशा होने पर 15 किलो के 1 शील्ड टिन को खुलवाकर 800 ग्राम घी(AVIK) ब्रांड वास्ते नमूना जांच हेतु खरीद कर उसकी कीमत 900/– रुपये विक्रेता खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री भूराराम चौधरी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फॉर्म नम्बर 5A की प्रतियां रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। सायल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी(AVIK) ब्रांड जार हेतु लेबल

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

CamScanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 415/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मदनलाल कुम्हार व अन्य

तैयार कर प्रत्येक प्लास्टिक जार पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कोड एवं क्रमांक दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप न. **R-2034** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचें से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। मौका कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता/विक्रेता एवं गवाहान को पढ कर हस्ताक्षर हेतु कहा, इन्होने मौका फर्द पढ कर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहूंच कर फार्म न. छः की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की, शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्र क्रमांक एफएएसए/2023/7488 दिनांक 19.09.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/3381/एक्ट/2023/3456 दिनांक 04.09. 2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **Sub- Standard & Contravenes Regultation No. 2.3.7(2) Due to presence of foreign fat.** होना पाया गया है। नमूनीकरण के पश्चात् शेष बचे घी (AVIK) ब्रांड को नियमानुसार सील सीज कर खाद्य करोबारकर्ता/विक्रेता को सुरक्षित अभिरक्षा में सौंपा गया। गैर सायल के पास उक्त खाद्य पदार्थ का उचित खरीद बिल/वेट इनवॉइस होना नहीं पाया गया। अतः उक्त केस में अभियुक्त द्वारा **Sub- Standard & Contravenes Regultation No. 2.3.7(2) Due to presence of foreign fat.,** घी (AVIK) ब्रांड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व धारा 58 में निर्धारित है। साथ ही उक्त फर्म के पास उक्त खाद्य नमूने का खरीद बिल/वेट इनवॉइस होना नहीं पाया गया है जो कि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 27 की उपधारा 3(d) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना धारा 58 में निर्धारित है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। नियत दिनांक को गैरसायल मय अधिवक्ता उपस्थित हुए प्रर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया और सीधे बहस सुनने का निवेदन किया बहस के दौरान प्रार्थीपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी ने जाहिर किया कि विक्रय हेतु रखे एवं सीज किए गए 'घी' के अवमानक होने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह अंकित करना गलत है कि उक्त माल का बिल/वैट इनवॉइस उपलब्ध नहीं था, क्यो कि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में e- way bill और Tax Invoice सलंग्न है। जो कि निर्माता फर्म Shiva Milk Foods गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश के पक्ष में है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस के दौरान उठाए गए तथ्यों पर मनन एवं विश्लेषण किया गया। श्री देवेन्द्रसिंह राणावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता श्री मदनलाल कुम्हार, मैसर्स गणपति एजेन्सी सुमेरपुर तथा उनके पिता श्री जीवराज कुम्हार को पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 श्री मदनलाल कुम्हार के पास से अवमानक घी

अति. जिला कलक्टर
(भा.नि.पाली)

CamScanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 415 / 2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान देवेन्द्र सिंह राणावत खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम मदनलाल कुम्हार व अन्य

(कुल मात्रा 20 टिन, 15 kg. each) बरामद हुआ था, जबकि अप्रार्थी संख्या 02 श्री जीवराज कुम्हार के नाम तो उक्त विक्रेता फर्म का लाईसेन्स मात्र है। प्रार्थी द्वारा निर्माता फर्म Shiva Milk Foods गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश को पक्षकार नहीं बनाया गया, जिसके कारण स्पष्ट नहीं हैं।

खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक 3456 दिनांक 04.09.2023 का अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट में प्रश्नगत खाद्य पदार्थ घी(AVIK) ब्रांड के नमूने को अवमानक (Sub- Standard) तथा 'presence of foreign fat' की पुष्टि की गई है। जिससे यह सिद्ध होता है कि मैसर्स गणपति एजेन्सी, सुमेरपुर के खाद्य विक्रेता श्री मदनलाल कुम्हार द्वारा अवमानक खाद्य सामग्री का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना उक्त अधिनियम की धारा 51 में निर्धारित है। साथ ही उक्त खाद्य नमूने में ' foreign fat' की उपस्थिति सिद्ध पायी गई है, जो कि उक्त अधि. के प्रावधानो के विपरित है तथा जिसका जुर्माना उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत निर्धारित किया जा सकता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा खाद्य मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (2) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उक्त अधि. की धारा 51 एवं 58 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 51 के तहत रुपये 50,000 / – एवं धारा 58 के तहत रुपये 20,000 / – कुल रुपये 70,000 अक्षरे सत्तर हजार रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि कार्यवाही दिनांक 18.08.2023 को मौके पर मौजूद विक्रेता एवं अप्रार्थी संख्या 01 श्री मदनलाल कुम्हार से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

इस प्रकरण में जब्तशुदा 20 टिन घी (AVIK) ब्रांड, कुला मात्रा 299.200 kg. का अगर पूर्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निस्तारण नहीं किया हो, तो प्रार्थीपक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में पदाभिहित अधिकारी (Designated officer) खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानानुसार नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

क्रमांक / कोर्ट / खा.सु.प्र.स.415 / 2024 / 2024 / दिनांक :

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. श्री देवेन्द्रसिंह राणावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

CamScanner